

का्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश
 मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,
 17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स-0755-2555162
 E-Mail : ceo-mp@nic.in, Website: www.ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 13/2011-12/2588
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.4.2012

समस्त विभागाध्यक्ष
 मध्य प्रदेश शासन,

विषय: फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में 1.1.2012 को 18 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कराने हेतु।

दिनांक 1.1.2012 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले महिला पुरुष को मतदाता सूची में नाम जुड़ाने की पात्रता है। प्रदेश में अभी भी लगभग 40 लाख पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ना शेष होने का अनुमान है। इसमें आपके विभाग के अधिकारी/कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य या उनके निकट संबंधी पड़ोसी भी होंगे।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि उनका या उनके परिवार या निकट संबंधी पड़ोसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फार्म नं.-6 दो प्रतियों में भरकर दो फोटो लगाकर नियमानुसार संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी (बी.एल.ओ) या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित तहसील कार्यालय में देकर नाम जुड़वाने की कार्यवाही व्यक्तिगत रुचि लेकर करें।

जो अधिकारी/कर्मचारी इन्टरनेट का उपयोग जानते है वे आनलाईन-ई-रजिस्ट्रेशन की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट से भी कर सकते है। वेबसाइट निम्नानुसार है:-

www.ceomadhyapradesh.nic.in

फार्म भरने के बाद या वेबसाइट से आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युक्तियुक्त समय 45 दिन के भीतर नाम जुड़ने के संबंध में तथा फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्राप्त नहीं होता है तो टोल फ्री नम्बर 1950 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संबंधित तहसील कार्यालय, बी.एल.ओ., जिला निर्वाचन अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल से 31 मई 2012 तक बूथ लेबल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि घर-घर जाकर सर्वे कर पात्र मतदाताओं के फार्म प्राप्त करने की कार्यवाही करें। बी.एल.ओ. घर पर आने पर उन्हें नाम जोड़ने के लिए जानकारी, फार्म एवं फोटो उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

